मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

Email : lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

फोन नं0–0522-2308502

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-108 /2019–20 दिनाँक 16 अप्रैल, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः 1705/68–5–2018 दिनांक 25.11.2018 (संलग्नक–1) एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्याः शि0नि0(बे0)/62112–62207/2018–19 दिनांक 28.11.2018 (संलग्नक–2) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में निर्णयानुसार निर्णय लिये गये हैं एवं तद्नुसार एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर (कक्षा–1 से 8) एक विद्यालय संचालित कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

1. एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा–1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
2. संविलियन के पश्चात् कक्षा–1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
3. विद्यालय में कक्षा–1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
4. संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदो के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
5. विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
6. परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत् वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।
7. संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग–अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे।

8. एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक–पृथक यू–डायस के स्थान पर एक ही यू–डायस कोड होगा।
9. उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू–डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10. संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।

उपर्युक्त शासनादेश के प्ररिप्रेक्ष्य में कतिपय जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/निर्देश की अपेक्षा की गयी है:–

1. संविलियन के उपरान्त विद्यालय की मध्यान्ह भोजन निधि खाता एक होगा या पृथक–पृथक संचालित होगा?
2. संविलियन के उपरान्त रसोइयों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?
3. संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित परिवर्तन लागत की गणना किस प्रकार की जाएगी?

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में संविलियन के उपरान्त विद्यालय का मध्यान्ह भोजन निधि खाता एक होगा एवं शासनादेश दिनांक 22.11.2018 के बिन्दु–2 में दी गयी व्यवस्था **"संविलियन के पश्चात् कक्षा–1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।"** के अनुसार विद्यालय के वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से संचालन किया जायेगा। उक्त के क्रम में अपेक्षित है कि तत्काल मध्यान्ह भोजन निधि के पृथक–पृथक संचालित खातों में से एक खाते को बन्द कर उसकी समस्त धनराशि दूसरे संचालित खाते में अंतरित कर दी जाए।

संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण पूर्व की भाँति विद्यालय के कुल छात्रों (कक्षा 1 से 8) की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

विद्यालय के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण किये जाने से सम्बन्धित रिकार्ड **एम0डी0एम0 की दो अलग–अलग पंजिकाओं में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र–छात्राओं के लिए अनुमोदित प्रति छात्र दर एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र–छात्राओं के लिए अनुमोदित प्रति छात्र की दर से** किया जाएगा।

शासन के पत्र संख्याः 1705/68–5–2018 दिनांक 25.11.2018 एवं शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्याः शि0नि0(बे0)/62112–62207/2018–19 दिनांक 28.11.2018 के आलोक में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजन से सम्बन्धित पृच्छा के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही जनपद स्तर से की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप नवीन सत्र से विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए संचालित होने वाले विद्यालयों में तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

/

(मुमताज़ अहमद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
10. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
12. नियोजन अनुभाग—4/वित्त (ई—11)/बजट अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

(मुमताज़ अहमद)
निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

Email : lkomdm@gmail.com
फोन नं0–0522-2308502 Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-108 /2019–20 दिनाँक 16 अप्रैल, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः 1705/68–5–2018 दिनांक 25.11.2018 (संलग्नक–1) एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्याः शि0नि0(बे0)/62112–62207/2018–19 दिनांक 28.11.2018 (संलग्नक–2) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में निर्णयानुसार निर्णय लिये गये हैं एवं तद्नुसार एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर (कक्षा–1 से 8) एक विद्यालय संचालित कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निम्नवत् निर्देश दिये गये हैंः–

1. एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा–1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
2. संविलियन के पश्चात् कक्षा–1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
3. विद्यालय में कक्षा–1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
4. संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदो के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
5. विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
6. परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत् वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।
7. संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग–अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे।

8. एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक–पृथक यू–डायस के स्थान पर एक ही यू–डायस कोड होगा।
9. उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू–डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10. संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।

उपर्युक्त शासनादेश के प्रिरिप्रेक्ष्य में कतिपय जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/निर्देश की अपेक्षा की गयी है:–

1. संविलियन के उपरान्त विद्यालय की मध्यान्ह भोजन निधि खाता एक होगा या पृथक–पृथक संचालित होगा?
2. संविलियन के उपरान्त रसोइयों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?
3. संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित परिवर्तन लागत की गणना किस प्रकार की जाएगी?

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 22.11.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में संविलियन के उपरान्त विद्यालय का मध्यान्ह भोजन निधि खाता एक होगा एवं शासनादेश दिनांक 22.11.2018 के बिन्दु–2 में दी गयी व्यवस्था **"संविलियन के पश्चात् कक्षा–1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।"** के अनुसार विद्यालय के वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से संचालन किया जायेगा। उक्त के क्रम में अपेक्षित है कि तत्काल मध्यान्ह भोजन निधि के पृथक–पृथक संचालित खातों में से एक खाते को बन्द कर उसकी समस्त धनराशि दूसरे संचालित खाते में अंतरित कर दी जाए।

संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण पूर्व की भाँति विद्यालय के कुल छात्रों (कक्षा 1 से 8) की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

विद्यालय के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण किये जाने से सम्बन्धित रिकार्ड **एम0डी0एम0 की दो अलग–अलग पंजिकाओं में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र–छात्राओं के लिए अनुमोदित प्रति छात्र दर एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र–छात्राओं के लिए अनुमोदित प्रति छात्र की दर से** किया जाएगा।

शासन के पत्र संख्याः 1705/68–5–2018 दिनांक 25.11.2018 एवं शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्याः शि0नि0(बे0)/62112–62207/2018–19 दिनांक 28.11.2018 के आलोक में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजन से सम्बन्धित पृच्छा के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही जनपद स्तर से की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप नवीन सत्र से विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए संचालित होने वाले विद्यालयों में तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–उक्तवत्</u>।

भवदीय,

(मुमताज़ अहमद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
10. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
12. नियोजन अनुभाग—4/वित्त (ई—11)/बजट अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

(मुमताज़ अहमद)
निदेशक

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0,निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
2–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/ 6112-6220 /2018–19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1705/68–5–2018, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन किए जाने के उपरान्त विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं :–

1– एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा–1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।

2– संविलियन के पश्चात् कक्षा–1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।

3– विद्यालय में कक्षा–1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

4– संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

5– विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।

6– परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत् वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।

7– संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग–अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।

8– एक ही परिसार में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक–पृथक यू–डायस के स्थान पर एक ही यू–डायस कोड होगा।

9– उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू–डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10— संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में संविलियन कर एक विद्यालय (कक्षा–1 से 8) संचालित कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

28.11.18

संलग्नक–उक्तवत्

डा0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बे0),उ0प्र0
निशातगंज, लखनऊ।

पृ0सं0—शि0नि0(बे0)/ 62112-62201 /2018—19तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के क्रम में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2— अपर शिक्षा निदेशक (शिविर), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
3— उप शिक्षा निदेशक (प्रा0), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।

28.11.18

डा0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बे0),उ0प्र0
निशातगंज, लखनऊ।

4

Email ei

संख्याः 1705/68-5-2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2018

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-शि0नि0 (बे0)/54905/2018-19, दिनांक 30.10.2018 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(1) एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा-1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।

(2) संविलियन के पश्चात् कक्षा-1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।

(3) विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(4) संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

(5) विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।

(6) परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत्

वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।

(7) संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग–अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।

(8) एक ही परिसार में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक–पृथक यू–डायस के स्थान पर एक ही यू–डायस कोड होगा।

(9) उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू–डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(10) संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित बिंदुओं के आलोक में संविलियन कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।